

31/10/23

पत्रावली में ही वकील बाकी / प्रथम  
 दफ्तर में ही पत्रावली को सुनाइ-22 के  
 तलबी गुण नहीं करवायी जा सकी है आज  
 व्यायालय में वकील बाकी / प्राथमिक को  
 बीच-बीच आवाज लगावसे पर ही धारक  
 अथ आने पर पत्रावली अंतर्गत 0-9 रु.  
 CPC व 0-9 रु-5 CPC के तहत तलबी  
 अभाव व असु धारक, असु धारक  
 के एतद्वारा शक्ति की जाती है पत्रावली  
 फॉसल शुभार लेकर नंबर से कम होकर  
 पाबिल कपकप से आदेश पुल  
 व्यायालय में सुनाया जाकर मेरे  
 हस्ताक्षर व व्यायालय मुद्रा से  
 जारी किया गया।



*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 सांभर लोक